भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/349 दिनांक : 28/3/18

परिपत्र

विषय : भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत अस्पतालों के निरीक्षण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत जारी आरएफपी के क्लॉज संख्या 1.25 में अस्पतालों के निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण के लिए जारी दिशा निर्देशों के बिन्दू संख्या 25 एवं 26 में भी पूर्ण विवरण अंकित है। इस सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार परिपत्र जारी करके प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट किया जाता है :–

1. अस्पतालों का निरीक्षण :–

- बीमा कंपनी द्वारा अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जा सकेगा।
- राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी के अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकृत व्यक्तियों द्वारा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भी योजना के अन्तर्गत निरीक्षण किया जा सकता है।
- सामान्यतः बीमा कंपनी द्वारा निरीक्षण दलों का गठन किया जायेगा, लेकिन आवश्यकता होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी के द्वारा अधिकृत व्यक्ति एवं बीमा कंपनी के अधिकृत व्यक्तियों की संयुक्त टीम का गठन भी किया जा सकता है।
- बीमा कंपनी द्वारा निरीक्षण दल के सभी सदस्यों के लिए पहचान पत्र बनाया जाना आवश्यक है तथा अस्पताल के निरीक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाया जाना वांछनीय है।
- बीमा कम्पनी द्वारा जिन व्यक्तियों को निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है, उनके पूर्ण विवरण नाम, योग्यता, पद, मोबाईल नम्बर व फोटो सहित इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें एवं भविष्य में इनमें नाम जोडने एवं हटाने का विवरण भी समय–समय पर भिजवाने का श्रम करें।
- अस्पताल के निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण दल द्वारा अस्पताल के प्रशासक/ड्यूटी डॉक्टर/प्रबंधक/अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के साथ एक जांच रिपोर्ट तैयार की जायेगी। जिस पर अस्पताल के प्राधिकृत व्यक्ति एवं निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। हस्ताक्षर के साथ निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य का नाम व पद भी अंकन किया जाना आवश्यक है। इस रिपोर्ट की एक प्रति अस्पताल की ओर से अधिकृत व्यक्ति को भी दी जावेगी।
- यदि अस्पताल निरीक्षण दल की रिपोर्ट के किसी बिन्दु से सहमत नहीं है तो वह अपना मत तदानुसार रिपोर्ट में अंकित कर सकते हैं तथा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज भी लगा सकते है।
- **यदि कोई अस्पताल संयुक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करता है**, तो निरीक्षण दल द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिले के किसी भी अधिकारी को अधिकृत करेगें जो बीमा कम्पनी द्वारा जांच किये

जाने एवं अस्पताल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के तथ्य की पुष्टि करेंगे। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी की रिपोर्ट को सही माना जायेगा।

2. **अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी करना:–**

- यदि बीमा कंपनी/राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी को निरीक्षण दल से अथवा अन्य किसी माध्यम से अस्पताल की अनियमितताओं के बारे में पता चलता है तो बीमा कंपनी/ राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी द्वारा अस्पताल को कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा।
- कारण बताओ नोटिस में पाई गई अनियमितताओं को बिन्दुवार उल्लेखित किया जायेगा तथा प्रत्येक आरोप के संदर्भ में जिस आधार पर आरोप लगाया है, उससे सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करेगें।
- अस्पताल को जवाब देने के लिए नोटिस जारी करने की दिनांक से कम से कम सात कार्य दिवस का समय दिया जावे तथा अस्पताल भी अपने जवाब में कारण बताओ नोटिस में दिये गये प्रत्येक बिन्दु का अलग–अलग उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत करें।
- यदि अस्पताल का जवाब संतोषजनक पाया गया तो बीमा कंपनी/राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी द्वारा कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी।
- यदि अस्पताल का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बीमा कंपनी/राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी द्वारा अस्पताल को अपने निर्णय में कारण अंकित करते हुए यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा दिये गये जवाब से क्यों सहमत नहीं हैं।

बीमा कम्पनी हेतु निर्देश

- बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी आयुर्वेद अथवा होमियोपेथिक डॉक्टर को निरीक्षण के लिए किसी भी अस्पताल में नहीं भेजा जावे। मात्र एलोपेथिक डॉक्टर्स न्यूनतम एम.बी.बी.एस. डिग्री धारक हो, को ही निरीक्षण हेतु अधिकृत किया जावेगा।
- निरीक्षण टीम में प्रत्येक सदस्य के पास न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी द्वारा जारी किया फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। निरीक्षण प्रारंम्भ करने से पूर्व वे समस्त अपने परिचय पत्र अस्पताल के प्रतिनिधि को दिखायेगें।
- बीमा कम्पनी के नाम पर अस्पतालों से राशि की नाजायज मांग किए जाने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बीमा कम्पनी को निर्देशित किया जाता हैं कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं होनी चाहिए, इसकी सुनिश्चित्ता की जावे।
- किसी भी अस्पताल को कारण बताओ नोटिस देने के समय जिन आधारों पर आक्षेप लगाए है, वे साक्ष्य नोटिस के साथ संलग्न किये जाएं।
- निरीक्षण के समय अस्पताल एवं निरीक्षणकर्ता दोनों की संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक के द्वारा अपना नाम व पदनाम अंकित किया जावेगा।
- किसी भी अस्पताल में पाई गई अनियमितताओं को संयुक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए तथा यदि अस्पताल में कोई भी अनियमितता नहीं पाई जावे, तब भी स्पष्ट रूप से तदानुसार ऐसा अंकित किया जाना चाहिए तथा इसकी एक प्रति अस्पताल को भी उपलब्ध करानी होगी।
- बीमा कम्पनी के अधिकारियों द्वारा कोई भी कारण बताओ नोटिस देने से पूर्व आक्षेपों की जांच अपने स्तर से करके जांच के परिणाम व सम्पूर्ण साक्ष्य के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किये जावे।

- यह भी देखा गया है कि कुछ अस्पतलों में बीमा कम्पनी द्वारा बार–बार निरीक्षण टीम भेजी जा रही है तथा कई अस्पतालों में तो एक ही दिन में दो–दो बार निरीक्षण किया जा रहा है, जबकि बार–बार निरीक्षण के उपरान्त भी अस्पताल के कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है।
- निरीक्षण के कारण अस्पताल के सामान्य कार्यो में बाधा उत्पन्न नहीं हो एवं मरीजों को भी अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पडे।
- निरीक्षण यथा सम्भव उपयुक्त समय में ही किया जावे। रात्रि एवं अन्य विषम समय (Odd hours) में निरीक्षण अत्यंत आवश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए एवं निरीक्षण के समय अंस्पताल में भर्ती मरीजों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जावें।

(एल.एन. सोनी)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

क्रमांकः एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2016–17/345 दिनांक : 28/3/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
3. निजी सचिव अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
4. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, समस्त।
7. संभागीय सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (समस्त संभाग)।
8. संभागीय उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (समस्त संभाग)।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
10. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (प.क.)
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम/एनयूएचएम समस्त जिले।
12. सभी योजना से सम्बद्ध निजी एवं सरकारी अस्पताल।
13. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल कराने हेतु एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी